



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा काम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना

नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार) सेक्टर 04 रायपुर छ0ग0 में प्लॉट नंबर 05 में 768 LIG-I फ्लैट्स 2BHK (प्रकोष्ठ) के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

विज्ञापन अनुसार पंजीयन अवधिसे

श्री को यह आवेदन पत्र रसीद क्रमांक दिनांक के द्वारा कमल विहार में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत एल.आई.जी-1 फ्लैट के पंजीयन हेतु रू0 500/-भुगतान प्राप्त कर प्रदान किया जाता है।

कैशियर
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर छ0ग0

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)

i a h u 0 e k a l %

पासपोर्ट साईज
फोटो

महोदय,

मैं रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार) के अंतर्गत स्ववित्तीय आधार पर एल.आई.जी-1 फ्लैट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ

आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि : आयु
4. पूर्ण पता :
:
:

5. आधार कार्ड नं.(अनिवार्य) :..... पेन कार्ड नंबर
6. ई-मेल आईडी :.....
7. फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) :दूरभाष न. (निवासी)
- : (कार्या.)
- : मोबाईल नम्बर
8. आवेदक का बैंक खाता विवरण : बैंक का नाम
- : बैंक खाता क्रमांक
- : IFSC Code
9. व्यवसाय :
10. वार्षिक आय : अ. व्यक्तिगत
- : ब. पारिवारिक

11. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है यदि हाँ तो उपर्युक्त कॉलम में सही (✓) का निशान लगायें।

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	10%	<input type="checkbox"/>
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06%	<input type="checkbox"/>
3.	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	02%	<input type="checkbox"/>
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04%	<input type="checkbox"/>
5.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिक	02%	<input type="checkbox"/>
6.	शारीरिक विकलांग	01%	<input type="checkbox"/>
7.	निराश्रित एवं साधनहीन विधवा महिला	02%	<input type="checkbox"/>
8.	तृतीय लिंग समुदाय	02%	<input type="checkbox"/>
9.	अनारक्षित	—	<input type="checkbox"/>

टीप:- वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम : उम्र

: आवेदक से संबंध

: पता

दूरभाष/मोबाईल नंबर

—:आवेदक द्वारा घोषणा:—

मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्राधिकरण के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तों कि जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लॉटरी द्वारा पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तों पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहा है तो उसका प्रमाण-पत्र।

2. आय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)

3. निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ -पत्र

पंजीयन राशि रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र) बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट

रसीद क्रमांकदिनांक बैंक का नाम

शाखा का नाम

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम

कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों कि जाँच की गई/आवेदक का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावे।

अति० मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर छ०ग०



नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार) सेक्टर 04 रायपुर छ0ग0
प्लॉट नंबर 05 में 768 LIG-1 फ्लैट 2BHK (प्रकोष्ठ)
आवंटन संबंधी नियम/शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) से एल.आई.जी-1 हेतु रू. 500/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ एल.आई.जी-1 फ्लैट हेतु रू0 20,000/- पंजीयन राशि बैंकर्स चैक/डी.डी. के माध्यम से भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) में जमा करना होगा। फ्लैट आबंटन होने पर उक्त राशि को जमा की जाने वाले प्रथम किश्त 10 प्रतिशत राशि में समायोजन किया जावेगा।
3. नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार), में 768 बहुमंजिलिय फ्लैट (भूतल पार्किंग + 08 फ्लोर) (सुपर बिल्ट-अप एरिया 852.82 वर्गफुट, बिल्टअप एरिया 586.52, कारपेट एरिया 493.74 वर्गफुट) 2BHK का निर्माण किया जायेगा, जिसमें लिफ्ट की सुविधा होगी, फ्लैट की अनुमानित कीमत रू0 8.00 लाख तथा बाह्य रख-रखाव (मेन्टेनेंस) शुल्क रूपये 7.5 प्रतिशत मुश्त निर्धारित है।
4. भवन में आरक्षण रायपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जाति/जनजाति 10% (2) पिछड़ा वर्ग 6% (3) शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएँ 2% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 4% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगों के लिए 1% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% तृतीय लिंग समुदाय के लिये 2% रहेगा। उपरोक्तानुसार किसी वर्ग के हितग्राही उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3 बार विज्ञापन पश्चात अनारक्षित वर्ग से की जावेगी।
5. पंजीयन के पश्चात् फ्लैट क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय आवेदक स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
6. आवंटन पश्चात फ्लैट रिक्त होने की स्थिति में परिवर्तन शुल्क रू0 2000/- जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. एल.आई.जी-1 फ्लैट्स हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा रू. 3,00,001/- (रूपये तीन लाख एक रूपये) से रू0 6,00,000/- (रूपये छः लाख) है तक पात्रता मापदण्ड है हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना होगा।

8. पंजीयन राशि फ्लैट के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा पंजीयन राशि वापस चाहने पर मूल रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10% (दस प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
9. आबंटन होने के पश्चात् किश्तें निर्धारित समय पर जमा करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हितग्राही की होगी, इस हेतु पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। किश्तें जमा करने की तालिका आबंटन आदेश में उल्लेखित की जायेगी।
10. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत:—
 - (अ) केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही को ब्याज में छुट दी जायेगी। एल.आई.जी मकान की संभावित मूल्य 8.00 लाख है। ब्याज के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा पात्र हितग्राही को अधिकतम आवास ऋण रु. 6.00 लाख पर 6.5 प्रतिशत की दर से अपफ्रन्ट पद्धति से प्राप्त ब्याज सब्सिडी उसके खाते में जमा की जावेगी, जो कि 15 वर्षों के लिए ऋण लेने पर रु0 2.00 लाख संभावित है। इस प्रकार हितग्राही लिए गए लोन पर 2.00 लाख की कटौती कराने एवं ई.एम.आई. पूर्ववत् जमा करने पर ऋण राशि निर्धारित 15 वर्ष से बहुत पहले समाप्त हो जावेगी अथवा हितग्राही चाहे तो अपनी ई.एम.आई. की राशि कम कराते हुए 15 वर्ष तक जमा कर सकता है।
 - (ब) भवन पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा। महिला आवेदक या महिला आवेदक के परिवार के साथ संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है। आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अर्थात् नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
 - (स) पंजीयनकर्ता प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभ लेना चाहता है तो अनुदान प्राप्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र "ख" में जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।
विस्तृत जानकारी www.mhupa.gov.in में उपलब्ध है।
11. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटिती को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटिती को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो प्राधिकरण में जमा राशि नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।
12. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय में नियमों तहत किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्ववित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित है, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
13. प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लाक के आबंटिती सामूहिक रूप से बिना विवाद के पार्किंग का उपयोग करेंगे।

14. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कालोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में समस्त हितग्राहियों को मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के बाह्य रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि प्राधिकरण के नियमानुसार प्रदान किया जायेगा। रख-रखाव हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे।
 1. बाह्य साफ सफाई, कचरा उठाने का कार्य एवं नाली सफाई कार्य।
 2. स्ट्रीट लाईट एवं लिफ्ट का संधारण कार्य।
 3. बाह्य सीवर पाईपलाईन एवं रेनवाटर पाईप का संधारण कार्य।
 4. संयुक्त सेप्टिक STP का कार्य।
 5. संयुक्त वाटर टैंक का सफाई कार्य।
 6. भवन के रख-रखाव के अंतर्गत बाह्य प्लास्टर रिपेयरिंग कार्य तथा प्रति 02 वर्ष में बाहरी सतहों में पुताई का कार्य।
 7. गार्डन का रख-रखाव का कार्य।
15. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी। यदि पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत हितग्राहियों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी प्रकार के पते के कारण विवाद उत्पन्न होने पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
16. उक्त योजनांतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्त को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
17. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
18. आधिपत्य अधिपत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।
19. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
20. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, फ्लैट का अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटिती को मान्य होगा।

- 21.(अ) गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है, तो वह भी पृथक से देय होगा।
- (ब) हितग्राहियों को प्रकोष्ठ भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन, शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
- (स) निर्धारित जल शुल्क नियमित रूप से पृथक से जमा करना होगा।
22. प्रकोष्ठ भवन के डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गये स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये प्राधिकरण स्वतंत्र है इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
23. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं प्राधिकरण, की वेबसाईट www.rdaraipur.com में देखा जा सकता है।
24. प्रकोष्ठ भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
25. ऐसी योजना/योजनाए जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना ली जानी प्राधिकरण के हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थान्तरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
26. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि आबंटन निरस्त कर दें। ऐसी स्थिति में पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती (10 प्रतिशत प्रथम किश्त की राशि में) कर शेष राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
27. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
28. प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम फ्लैट आधिपत्य के पश्चात या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

- 29 फलैट का आधिपत्य 3 वर्ष अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
- 30 फलैट का पूर्ण मूल्य निर्धारित किशतों में हितग्राही को देना होगा, किन्तु फलैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित किशतों की तालिका आवंटन आदेश के साथ दी जावेगी।

टीप :-

1. जहाँ-जहाँ प्राधिकरण का जिक्र किया गया है। उसका आशय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित अविवाहित बच्चे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर छ0ग0

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ कि मुझे एल.आई.जी-। (प्रकोष्ठ) आवंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 30 तक सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है। मान्य है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ।
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा प्रकोष्ठ भवन नहीं है अथवा आवंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा।
7. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य है। सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

.....

फोन नं. मो.नं.

नगर विकास योजना क्रमांक 04 (कमल विहार) रायपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन पत्र

1. (अ) आवेदिका/आवेदक का नाम
- (ब) परिवार के मुखिया का नाम
2. [लिंग पुरुष: 01, महिला: 02, तृतीय लिंग: 03]
3. पिता का नाम
4. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा
 - i मकान सं./वार्ड क्रमांक
 - ii स्लम का नाम/मुहल्ला का नाम
 - iii शहर
 - iv मोबाईल संख्या
5. स्थाई पता
 - i मकान/फ्लैट/द्वार सं.
 - ii गली का नाम
 - iii शहर/गांव
 - iv जिला, राज्य
6. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा
[स्वामित्व – 01, किराया –02, अन्य – 03]
7. छत के आधार पर मकान का प्रकार
[पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध–पक्का (सीमेंट की चादर/स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]
8. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या
9. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो)
मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण–पत्र)

10. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के सदस्य का नाम	परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण -पत्र

11. धर्म

[हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

12. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

13. बैंक का ब्यौरा

क. बैंक खाता संख्या
ख. बैंक और शाखा का नाम

14. इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या

[0 से 01 वर्ष-01, 1 से 03 वर्ष -02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 से अधिक-04]

15. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में)

16. क्या आप परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)

क. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
(बस्ती/शहर/राज्य)

ख. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

17. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02, नियमित मजदूरी-03, मजदूर-04, अन्य-05)

18. परिवार की औसत आय (रूप में)
19. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)
क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।
20. परिवार की आवास आवश्यकता
(नया घर-01, वृद्धि-02)
21. वृद्धि के सामने में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय
अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]
22. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत सभी के
लिए आवास (एचएफए) के तहत लाभार्थी को सहायता
की आवश्यकता है।
- i ऋण से जुड़ी सब्सिडी-01
- ii भागीदारी में किफायती आवास-02
- iii स्व-निर्माण-03

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास" स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 24 पर सभी के लिए आवास कार्य योजना के फ्लोट-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी
के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर